HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 15TH MARCH, 2022 AT 10.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. <u>CALLING ATTENTION NOTICE</u>

regarding excessive irregularities in the cases of Registries in the state, given by Shri Abhay Singh Chautala, MLA.

Calling Attention Notice Nos. 30 (Shri Balraj Kundu, MLA), 42 (Shri Neeraj Sharma, MLA), 50 (Smt. Kiran Choudhry, MLA) on the similar subject clubbed with Calling Attention Notice No. 4. The Hon'ble Members may also raise supplementary at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 4.

III. BUDGET FOR THE YEAR 2022-2023.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION on the Budget Estimates for the year 2022-2023.

IV. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

- A MINISTER to lay on the Table the Administrative Reforms Department's Notification No.7/11/2014-3AR, dated the 21st February, 2022, as required under section 21(3) of the Right to Service Act, 2014.
 A MINISTER to lay on the Table the Labour Department's Notification No.
- Lab/1128, dated 10th January, 2022, as required under section 24(2) of the Haryana State Employment of Local Candidate Act, 2020.
- 3. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Women Development Corporation Limited for the year 2016-2017, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
- 4. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Women Development Corporation Limited for the year 2017-2018, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
- 5. A MINISTER to lay on the Table the Fifteenth Report on implementation of the Right to Information Act, 2005 (1.1.2020 to 31.12.2020) of State Information Commission Haryana, as required under section 25 (4) of the Right to Information Act, 2005
- 6. FINANCE to lay on the Table the Finance Accounts (Volume-I &II) for the year 2020-2021 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.
- 7. FINANCE to lay on the Table the Appropriation Accounts for the year 2020-2021 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

CHANDIGARH: THE 14TH MARCH, 2022.

RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 2022 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. ध्यानाकर्षण सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा राज्य में रजिस्ट्रीयों के मामलों में अत्याधिक अनियमितता के संज्ञान में आने के संबंध में दी गई सूचना।

के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार श्रम विभाग अधिसूचना संख्या एल ए बी / 1128,

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30 (श्री बलराज कुंडु ,एम.एल.ए.), 42 (श्री नीरज शर्मा एम.एल.ए.), 50 (श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए.), द्वारा समान विषय पर दी गई सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ क्लबड कर दी है। माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 पर चर्चा के समय अनुपूरक उठा सकते हैं।

III. वर्ष 2022-2023 के लिए बजट

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण ।

IV. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र।

1	एक मंत्री	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/11/2014—3 ए आर, दिनांकित 21 फरवरी, 2022, मेज पर रखेंगे।
2	एक मंत्री	हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 की धारा 24 (2)

0	 0	
3	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट
		मेज पर रखेंगे।

दिनांकित 10 जनवरी, 2022, मेज पर रखेंगे।

4	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार,
		वर्ष 2017—2018 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट
		मेरन पर रखेंगे।

5	एक मंत्री	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के
		अनुसार राज्य सूचना आयोग हरियाणा के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (01. 01.2020 से 31.12.2020) के कार्यान्वयन पर 15वीं रिपोर्ट मेज पर रखेंगें।

- 6 वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2020—2021 के लिए वित्त लेखें (भाग I तथा II) मेज़ पर रखेंगे।
- 7 वित्त मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2020—2021 के लिए विनियोग लेखें मेज़ पर रखेंगे।

चण्डीगढ़ः 14 मार्च, 2022. राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।